©2017 IJSRST | Volume 3 | Issue 8 | Print ISSN: 2395-6011 | Online ISSN: 2395-602X
Themed Section: Science and Technology

युद्ध, स्त्री एवं राज्य

हरीश कुमार यादव
शोध छात्र
राजनीतिविज्ञान विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

पितृसत्तात्मक समाज में महिलाएं हमेशा ही पुरूषों से कमतर मानी जाती हैं अथवा एक प्रकार से वह अस्तित्वहीन जीवन जीती हैं। इसी मान्यता के फलस्वरूप महिलाओं के जीवन के क्रियाकलापों को निजी क्षेत्र (Private Sphere) तक सीमित कर दिया गया और यह माना गया कि सार्वजनिक क्रियाओं का संचालन पुरूषों द्वारा ही किया जाता है।

किन्तु यह कटु सत्य है कि किसी भी युद्ध अथवा सशस्त्र संघर्ष का सबसे आसान एवं सबसे पीड़ित पक्ष महिलाएं ही होती हैं।

युद्ध तथा सशस्त्र संघर्ष के परिणाम दीर्घकाल तक इन महिलाओं के जीवन को प्रभावित करते हैं। बलात्कार, शोषण, देह–व्यापार, जबरन विवाह इत्यादि हिंसा का वह रूप हैं जिसका शिकार महिलाएं सशस्त्र संघर्ष एवं युद्धकाल के दौरान होती हैं।

घर–परिवार, मवेशियों बच्चों से लगाव एवं उनकी देखभाल की जिम्मेदारी, संवेदनात्मक लगावों के कारण महिलाएं जल्दी पलायन नहीं कर पाती हैं अतः ऐसे संघर्षों में वह सहज ही भेद्य हो जाती है। युद्ध एवं संघर्ष के दौरान महिलाओं के विरूद्ध की जाने वाली अधिकांश हिंसा स्त्री–देह से सम्बन्धित होती है और इस प्रकार की हिंसा सहज क्रिया का परिणाम नहीं होती है अपितु यह पूरी तरह से नियोजित एवं संरचनात्मक हिंसा का अंग होती है। स्त्रियों की देह पर नियंत्रण करना किसी भी युद्ध तथा संघर्ष की रणनीति का ही एक हिस्सा होता है जिसके प्रायः तीन प्रमुख उद्देश्य होते हैं– पहला, आम नागरिकों में भय का संचार, दूसरा नागरिकों का विस्थापन और तीसरा सैनिकों को बलात्कार की छूट देकर पुरस्कृत करना। रवांडा, बोस्निया, बांग्लादेश के सशस्त्र संघर्ष के दौरान महिलाओं के विरूद्ध एवं स्त्री देह शोषण के प्रमाण सहज ही इस बात की पुष्टि करते हैं कि किस प्रकार बलात्कार को युद्ध एवं सशस्त्र संघर्ष के दौरान एक रणनीतिक हथियार (Tool) के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है।

जैसा कि उर्वशी बुटालिया कहती हैं ''वह महिला ही होती है जो अपने समुदाय के सम्मान को अपने शरीर पर ढोती है। ऐसे में उसके शरीर को चोट पहुँचाकर जो कि अधिकांशतः बलात्कार के रूप में होता है, एक प्रकार की रणनीति होती है दूसरे समुदाय पर आघात करने की।'' महिलाओं के प्रति होने वाले इस घृणित कार्य में राज्य की वैधता प्राप्त सेना से लेकर गैर–राज्यीय कर्ता (आतंकी समूह) के पुरूष तक शामिल होते हैं

सशस्त्र संघर्ष तथा युद्ध मे महिलाओं के हितों एवं उनके दृष्टिकोण के संदर्भ में हम राज्य की भूमिका को अनदेखा नहीं कर सकते हैं क्योंकि 'राज्य' आज भी एक महत्वपूर्ण कर्त्ता है। नागरिकता की परिभाषा राज्य की परिधि में ही पल्लवित होती है। राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय शक्ति एवं नीतियों का निर्माण राज्य द्वारा ही होता है। राज्य की स्थापना का उद्देश्य ही अपने नागरिकों को सुरक्षा एवं न्याय प्रदान करना है। परन्तु कई बार राज्य स्वयं ही हिंसा व पीड़ा का कारण बन जाता है सुरक्षा के नाम पर राज्य अपने उपकरणों का प्रयोग अपने ही नागरिकों के विरूद्ध करता है जिससे मानव अधिकारों को हानि पहुँचती है।

यद्यपि यह सत्य है कि महिलाओं के विरूद्ध ऐसे घृणित कृत्य राज्य एवं गैर राज्यीय कर्ता दोनों ही करते हैं किन्तु राज्य पर लगा प्रश्नचिन्ह ज्यादा गम्भीर है क्योंकि राज्य का गठन नागरिकों के लिए हुआ। राज्य को शक्ति और वैधता इसलिए प्राप्त है क्येांकि वह अपने नागरिकों के प्रति जिम्मेदार एवं उनकी सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध होता है। सरकारों द्वारा सुरक्षा बलों को विशेष प्रावधानों द्वारा दी गई सुरक्षा एवं विशेषाधिकार युक्त सुरक्षा कानूनों भारत के कुछ क्षेत्रों में (अफस्पा) के दुरूपयोग, बांग्लादेश स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सैनिकों द्वारा हिंसक कृत्य, रवांडा, बोस्निया आदि में संघर्षों के दौरान राज्य की सेना द्वारा किए शक्ति के दुरूपयोग की घटनाएं सामने आती रहती हैं। यही कारण है कि भारत जैसे देश में अफस्पा (AFSPA) जैसा कानून सभी स्तरों पर बहस का विषय बन चुका है।

निष्कर्ष :– लैंगिकता आधारित हिंसा प्राथमिक तौर पर महिलाओं के लिए मानव सुरक्षा सम्बन्धी चिंता है। किसी भी क्षेत्र में विशेषतः जहाँ युद्ध अथवा संघर्ष हो उस क्षेत्र की महिलाएं अपने प्रति होने वाली हिंसा खासकर शारीरिक हिंसा के प्रति भय से युक्त जीवन व्यतीत करती हैं।

लैंगिकता भी युद्ध एवं सशस्त्र संघर्ष का एक पक्ष है। एक ऐसा पक्ष जिसकी अनदेखी अधिकांश प्रत्येक स्तर पर विशेषकर राज्य से सम्बन्धित पक्षों मे हुई है क्योंकि महिला, युद्ध एवं सुरक्षा का समीकरण अध्ययन का विषय ही नहीं रहा है। अतः राज्य को अपनी नीतियों के निर्माण में लैंगिकता के दृष्टिकाणे की आवश्यकता को समझने एवं उसे प्रयुक्त करने की आवश्यकता है।

युद्ध एंव संघर्ष में महिला केन्द्रित विषयों की अनुपस्थिति एवं उनकी अनदेखी ही कुछ विद्वानों को युद्ध लैंगिकता से मुक्त (War is Gender Free) बताने के लिए प्रेरित करती है। अतः संघर्ष, सुरक्षा एंव उसके समाधान की प्रक्रिया को ''लैंगिकता के नज़रिए'' (Gender Perspective) से जानने एवं समझने की जरूरत है। चूँकि युद्ध एवं सशस्त्र संघर्ष के दौरान राज्य की भूमिका सुरक्षात्मक नीतियों एवं रणनीतियों उपायों का केन्द्रित

विषय होती है। ऐसे में संघर्ष एवं युद्ध में आवश्यकता इस बात की है कि राज्य की सुरक्षा नीतियों एवं मानव–सुरक्षा में सामंजस्य तथा संतुलन के द्वारा रणनीतिक एवं सुरक्षात्मक उपायों को मानवी स्वरूप प्रदान किया जाए।

संदर्भ सूची (Bibilography)

- Butalia Urvashi (E.d.), **" *Speaking Peace : Women's Voices From Kashmir*"**, Kali for Women, New Delhi, 2002.
- Hans Asha, Rajagopalan Swarna (E.d.), ***"Openings for Peace : UNSCR 1325 Women and Security In India"***, Sage Puliccation, New Delhi, 2016.
- Manchanda Rita (Ed.), ***" Women And Politics of Peace: South Asia Narreatives On Militarization, Power, and Justice",*** Sage Publication, New Delhi, 2017.
- Murthy Laxmi, and Varma Mitu (Ed.), ***"Garrisoned Minds: Women and Armed Conflict in South Asia"*** Speaking Tiger Books, Delhi, 2016.
- Shekhawat Seema, ***"Gender, Conflict and Peace in Kashmir: Invisible Stakeholders"***, Cambridge University Press, Delhi, 2014.
- Sjoberg Laura & Gentry E. Caron (Ed.), ***"Women, Gender and Terrorism"***, The University of Georgia Press, Georgia, 2011.
- Srivastva Garima, ***"Deh He Desh: Croasia Pravas Diary"***, Rajpal, New Delhi, 2017.
- Thakur. Dr. Seema, ***"Women, Peace and Security: Implementation of the UNSCR 1325 in South Asia"***, Regal Publication, New Dehli, 2015.